



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभवी पैरवी कर एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त को 45 दिवस का कारावास व ₹5,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-2225/2010 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एफटीसी प्रथम /गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त जगभान उर्फ पिन्टू पुत्र कल्लू साहू निवासी पन्धरी थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर के जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए 45 दिवस का कारावास व ₹5,000 अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री प्रवीण
भदौरिया



विवेचक-
उ0नि0 डी0आर0
सिंह



पैरोकार- थाना सुमेरपुर
का0 जगत सिंह